न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–18/2023 दायर दिनांक–19.01.2023

GCMS NO:- 2023/41 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

मोती मीना आ0 नन्दा जाति मीना ग्राम तुलसीपुरा ग्रा0प0 भजनेरी तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बालापुरा प.म. भजनेरी मे भूमि खसरा नम्बर 569/158, 570/158, 571/158 कुल किता 3 कुल रकबा 2.8720 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है।

यह कि प्राथी अपने खातेदारी भूमि पर डोल लगाकर मेड बंदी कर पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि फसल मे जानवरों एवं अन्य नुकसान से बचा जा सके। इस कारण पत्थरगढी करवाना स्थायी सीमा चिन्ह कायम करवाना प्रार्थी के लिए अति आवश्यक हो गया है ताकि भविष्य मे किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो जिसका प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी , नक्शा की प्रति पेश कर धारा 111 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा पत्रावली मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है जिसमे मौके पर खातेदार का कब्जा होना तो बताया है लेकिन सीमाज्ञान नही होना बताया अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम बालापुरा प.म. भजनेरी मे भूमि खसरा नम्बर 569/158, 570/158, 571/158 कुल किता 3 कुल रकबा 2.8720 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा